संख्या-283/2022/सा0-2801/23-1-22-69सा0/20टीसी-2

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 14 सितम्बर, 2022

विषय- लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों की रोड कटिंग किये जाने एवं काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-5033/नौ-5-2011/273सा/2011 दिनांक 09.12.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाईन/पेयजल पाइप लाईन डालने हेतु काटी गयी लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्णीत हुआ है:-

(i) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कों पर सीवर लाइन/पेयजल पाइप लाईन आदि डालने हेतु काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ii) काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई गाईडलाइन के आधार पर कार्यदायी संस्था/उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ऐसी काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना हेतु आगणन तैयार किया जायेगा। ऐसे आगणनों को लोक निर्माण विभाग की सहमति से गठित किया जायेगा जिसमें काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था रहेगी। आगणन में उक्त धनराशि की व्यवस्था करते समय टाइमफ्रेम के अनुसार दरों में वृद्धि के बिन्दु का ध्यान रखा जायेगा। उक्त धनराशि सड़क काटने की अनुमति प्राप्त करते समय कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के 07 दिन के अन्दर सड़क काटने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमशः .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.12.2013 के क्रियान्वयन में कार्यस्थलों पर आ रही कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की सड़कों की रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कैश फ्लो के दृष्टिगत निम्न व्यवस्था लागू किया जाना निर्णीत हुआ है:-

(1) सरकारी संस्थानों/निगमों द्वारा काटी गई सड़कों की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य यदि रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं कराया जाता है तो सड़क की कटिंग से पूर्व पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि के समतुल्य 50 प्रतिशत धनराशि की बैंक गारंटी जमा की जायेगी। बैंक गारंटी की वैधता काटी गई सड़क की पुनर्स्थापना की सम्भावित पूर्ण होने की तिथि से कम से कम 6 माह अथवा आगामी वर्षा ऋतु की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, तक रखी जायेगी।

(2) बैंक गारंटी जमा कराने के पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा इस शर्त के साथ रोड कटिंग की अनुमति दी जायेगी कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था अपने व्यय पर रोड कटिंग की मरम्मत/पुनर्स्थापना करायेगी एवं इस दौरान सड़क में होने वाली किसी भी प्रकार की टूट-फूट की मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य रोड कटिंग करने वाली कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त अवधि/बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने से 15 दिन पूर्व संयुक्त निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जायेगा, तदुपरान्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बैंक गारंटी वापस की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में बैंक गारंटी की वैधता अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय का तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

क्रमशः .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-283/2022/सा0-2801/23-1-22, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नियोजन विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग/उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

9- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।

13- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।

14- वेबमास्टर, लोक निर्माण विभाग।

15- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।